**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 933**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्तर**

**परिसम्पत्तियों का मुद्रीकरण**

**933. श्री राजीव चन्द्रशेखरः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) रेलवे द्वारा रेलवे परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) रेलवे द्वारा अन्य के साथ-साथ गैर-किराया स्रोतों जैसे स्टेशनों और डिब्बों पर विज्ञापन, खाली पड़ी भूमि का वाणिज्यिक उपयोग, रेल लाइनों के साथ-साथ विज्ञापन बोर्ड लगाने, रेल-लाइनों के साथ-साथ वाणिज्यिक कृषि, अमूर्त परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण और वेबसाइटों पर विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व सहित कितना राजस्व अर्जित किया जाता है?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

1. और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण के संबंध में 22.12.2017 को राज्‍य सभा में श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 933 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क): राजस्‍व आमदनी बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा निम्‍नलिखित नीतियों की घोषणा की गई है:-

1. **आऊट ऑफ होम पॉलिसी।**
2. **मोबाईल परिसंपत्ति नीति।**
3. **रेल डिसप्‍ले नेटवर्क नीति।**
4. **मांग नीति से संबंधित घटक।**
5. **अनापेक्षित प्रस्‍तावों से संबंधित नीति।**

**(ख): वित्‍त वर्ष 2016-17 में, रेलवे ने विविध आमदनियों से 10368.04 करोड़ रु. अर्जन किया है जिसका ब्‍यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।**

**(राशि करोड़ रु. में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **कुल विविध आमदनियां** | **विज्ञापन** | **भूमि का वाणिज्यिक दोहन** | **वाणिज्यिक खेती** |
| **2016-17** | **10368.04** | **219.69** | **939.37** | **2.40** |
| **2017-18 (सित., 2017 तक)** | **1775.78** | **101.31** | **318.75** | **1.23** |

\*\*\*\*\*